

## इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित

### महिला पेंशन योजना के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

(जो लागू न हो काट दिया जाए)

फोटो

1. आवेदिका का नाम .....
2. जाति ..... उपजाति .....
3. पता-म0सं0 .....ग्राम/मोहल्ला .....  
ग्राम पंचायत/वार्ड.....थाना ..... पो0 आफिस .....
- विकास खण्ड/नगर निकाय तहसील .....जनपद.....
4. जन्म तिथि (आवेदन पत्र भरने की तिथि को).....आयु.....वर्ष.....  
माह.....दिन..... (आयु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए। आयु प्रमाण-पत्र हेतु मतदाता पहचान-पत्र/परिवार रजिस्टर/शैक्षिक प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड अथवा सम्बन्धित ग्राम प्रधान या सम्बन्धित नगर निकाय के अध्यक्ष / महापौर द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र)।
5. आवेदिका से सम्बन्धित सदस्यों का विवरण :-  
(क) पुत्र उम्र - व्यवसाय  
1.  
2.  
3.  
(ख) पुत्री उम्र - व्यवसाय  
1.  
2.  
3.  
(ग) पुत्र का पुत्र उम्र - व्यवसाय  
1.  
2.  
3.
6. पहचान चिन्ह .....
7. बैंक एवं शाखा का नाम .....  
बचत खाता सं0- (दस/अधिक अंक की) .....
8. फोन नं0 (स्वयं/किसी निकट प्रतिनिधि का) .....

### शपथ पत्र

मैं प्रमाणित करती हूँ कि -

1. मैं/मेरा परिवार बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्ड धारक हूँ/हैं एवं मैं गरीबी रेखा के नीचे निवासरत हूँ (शहरी क्षेत्र के लिये) मेरा/मेरे परिवार के मुखिया का नाम बी0पी0एल0 सूची, 2002 के क्रमांक..... दर्ज है।
2. मुझे अन्य किसी स्त्रोत् से कोई पेंशन अथवा कोई सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
3. मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ।

आवेदिका का नाम एवं हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान

### घोषणा

1. मैं यह घोषणा करती हूँ कि यदि उपरोक्त विवरण/सूचना गलत अथवा असत्य पायी जाती है, तो जो रकम मुझे विधवा पेंशन के रूप में दी गई है, उसे भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर जी जाय।
2. मैं घोषणा करती हूँ कि समस्त स्त्रोत् से मेरी आय बी0पी0एल0 श्रेणी की आय से ऊपर नहीं है।

### (ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु)

### ग्राम पंचायत के प्रयोगार्थ

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. आवेदिका को पहले से किसी तरह की पेंशन अथवा सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
2. आवेदिका/उसके परिवार के मुखिया का नाम बी0पी0एल0 सूची, 2002 के क्रमांक..... पर दर्ज है।
3. आवेदिका को ग्राम पंचायत की खुली बैठक दिनांक.....में इस पेंशन हेतु संस्तुति प्रस्ताव पारित किया गया।

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर/मुहर

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम/  
अधिकारी का नाम/हस्ताक्षर/मुहर  
(दिनांक सहित)

### खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

आवेदिका के बी0पी0एल0 क्रमांक/उम्र/पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव व अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर लिया गया है। पेंशन भुगतान की संस्तुति की जाती है।

खण्ड विकास अधिकारी का नाम/हस्ताक्षर/मुहर  
(दिनांक सहित)

नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला  
प्रमाण - पत्र (यदि ग्राम पंचायत द्वारा नाम प्रस्तावित नहीं किया जाता है)

मेरे द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा नाम प्रस्तावित न करने के कारण आवेदक के पात्रता की जांच करायी गयी, जो सही पायी गयी। अतः पेंशन भुगतान की संस्तुति की जाती है।

नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/  
खण्ड विकास अधिकारी का नाम/हस्ताक्षर/मुहर  
(दिनांक सहित)

(शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु)  
तहसील के उपयोगार्थ

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे निवासरत् है तथा वह उपरोक्तानुसार बी0पी0एल0 कार्ड नं0..... की धारक है।
2. आवेदिका की उम्र.....वर्ष है।  
(मतदाता सूची/शैक्षिक प्रमाण-पत्र/चिकित्सा - पत्र/सम्बन्धित नगर निकाय के सभासद अथवा अध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर)।
3. आवेदिका को पहले से किसी तरह की पेंशन अथवा सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।  
अतः इस पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

लेखपाल का नाम/हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

तहसीलदार का नाम / हस्ताक्षर/मुहर  
(दिनांक सहित)

जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय उपयोगार्थ

1. आवेदिका के बी0पी0एल0 सूची, 2002 में अंकन होने का मिलान कर लिया गया है।
2. आवेदन-पत्र इस कार्यालय के प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक.....पर अंकित है। पेंशन भुगतान की संस्तुति की जाती है।
3. आवेदन-पत्र अपूर्ण है/बी0पी0एल0 सूची, 2002 में नाम नहीं है/आयु का प्रमाण-पत्र अनुमन्य पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है/आवेदिका की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। अतः आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी का नाम/हस्ताक्षर/मुहर  
(दिनांक सहित)